



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032023-244246
CG-DL-E-10032023-244246

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1048]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 2023/फाल्गुन 18, 1944

No. 1048]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 2023/PHALGUNA 18, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2023

का.आ. 1092(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मणिपुर राज्य के जिरिबाम जिले में NH-37 के कि.मी. 205.215 से कि.मी.214.289 (डी.सी.: कि.मी. 197.244 से कि.मी. 205.974 तक) (कार्यालय उपायुक्त, जिरिबाम) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के पक्के कंधे के साथ दो लेन का बनाने के लिए चौड़ा करना के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 22.01.2023 को "संगाई एक्सप्रेस (अंग्रेजी) संस्करण)" और "संगाई एक्सप्रेस (मणिपुरी संस्करण)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मणिपुर राज्य के जिरिबाम जिले में NH-37 (इंफाल-जिरिबाम रोड सेक्शन) के कि.मी. 205.215 से कि.मी.214.289 (डी.सी.: कि.मी. 197.244 से कि.मी. 205.974 तक) (कार्यालय उपायुक्त, जिरिबाम) के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मणिपुर		जिले का नाम: जिरिबाम			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जिरिबाम				
	गांव का नाम: बाबूपारा				
1	B1566 RHS (S)	निजी(इंगखोल)	सूखा	0.009	सुमन अली एस्/ओ (एल) उजिर अली (बी 1566 आर्हेच्एस् (एस्))
2	B2015 RHS (S)	निजी(इंगखोल)	सूखा	0.004	एमएसटी. जैदा बेगम डबल्यू/ओ नसीर अहमद (बी 2015 आर्हेच्एस् (एस्))
	गांव का नाम: हिलघाट				
3	H 396 LHS (S)	निजी(इंगखोल)	सूखा	0.007	एल. बिजयकुमार, एस्/ओ एल मोहोरी (हेच् 396 एलहेच्एस् (एस्))
4	H 443/588 LHS (S)	निजी(इंगखोल)	सूखा	0.002	ख. जादुमनी, ख. इबोम्चा, ख. शान्तिकुमार, एस्/ओ. (एल) बिजॉय (हेच् 443/588 एलहेच्एस् (एस्))
5	H 501 RHS (S)	निजी(इंगखोल)	सूखा	0.022	1. अहेबम (एन्) मुदुम (ओ) कदम देवी, डबल्यू/ओ. मोहों सिंह, 2. मुदुम दिनमणि, एस्/ओ, मोहों सिंह 3. एन्. बोयनो सिंह, एस्/ओ एन्. सनाजओबा (हेच् 501 आर्हेच्एस् (एस्))
6	H 66 LHS (S)	निजी(फोरेल)	सूखा	0.002	ब्राइ. मंगोलजाओं सिंह, एस्/ओ (एल) ब्राइ बिनोद सिंह (हेच् 66 एलहेच्एस् (एस्))
	गांव का नाम: कामरंग				

7	K 1723 LHS (S)	निजी(इंगखोल)	सूखा	0.02	एन् बुधचंद्र सिंह एस्/ओ एन्. इबोचा सिंह (के 1723 एल्हेच्एस् (एस्))
			कुल	0.066	

[फा. सं. NHIDCL/PMU NONEY/NH-37/I J/PKG7/2021/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2023

S.O. 1092(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for widening to two-laning with paved shoulder of NH-37 in the stretch of land from Km. 205.215 to Km. 214.289 (De. ch. from Km. 197.244 to Km. 205.974) of Imphal-Jiribam Road section (Office of the Deputy Commissioner, Jiribam) in the district of Jiribam in the state of MANIPUR;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Sangai Express (English Edition)” and “The Sangai Express (Manipuri Edition)” both dated 22.01.2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH37 in the stretch of land from Km 205.215 to Km. 214.289 (De. ch. from Km. 197.244 to Km. 205.974) of Imphal-Jiribam Road section (Office of the Deputy commissioner, Jiribam) in the district of Jiribam in the state of MANIPUR.

State: MANIPUR		District: Jiribam			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Jiribam				
	Village: Babupara				
1	B1566 RHS (S)	Private(Ingkhol)	Dry	0.009	Suman Ali S/O (L) Ujir Ali B 1566 RHS (S)
2	B2015 RHS (S)	Private(Ingkhol)	Dry	0.004	Mst. Jeida Begum W/o Nasir Ahmed B 2015 RHS (S)

	Village: Hilghat				
3	H 396 LHS (S)	Private(Ingkhol)	Dry	0.007	L. Bijoykumar, S/o L Mohori H 396 LHS (S)
4	H 443/588 LHS (S)	Private(Ingkhol)	Dry	0.002	Kh. Jadumani, Kh. Ibomcha, Kh. Santikumar, S/o. (L) Bijoy H 443/588 LHS (S)
5	H 501 RHS (S)	Private(Ingkhol)	Dry	0.022	1. Aheibam (N) Mutum (O) Kadam Devi, W/o. Mohon Singh, 2. Mutum Dinamani, S/o, Mohon Singh 3. N. Boynou Singh, S/o N. Sanajaoba H 501 RHS (S)
6	H 66 LHS (S)	Private(Phourel)	Dry	0.002	Y. Mangoljao Singh, S/o (L) Y Binod Singh H 66 LHS (S)
	Village: Kamaranga				
7	K 1723 LHS (S)	Private(Ingkhol)	Dry	0.02	N Budhachandra Singh S/o N. Ibocha Singh K 1723 LHS (S)
			TOTAL	0.066	

[F. No. NHIDCL/PMU NONEY/NH-37/I J/PKG7/2021/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.